

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

एफ 16(1)/परि/लेखा/राजस्व लक्ष्य/2021-22/

जयपुर, दिनांक


कार्यालय आदेश क्रमांक. 05 /2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयवार राजस्व लक्ष्यों का आवंटन

राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में रुपये 6500.00 करोड़ के निर्धारित राजस्व लक्ष्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयवार राजस्व लक्ष्यों का आवंटन संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार किया जाता है।

राजस्व लक्ष्यों की नियमित प्राप्ति के लिए सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा समयबद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकार द्वारा राजस्व अर्जन की मासिक समीक्षा नियमित रूप से की जाती है। अतः सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी यह सुनिश्चित करें, कि उनके लिए निर्धारित मासिक राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति निश्चित रूप से की जावे। यहां यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी माह में निर्धारित राजस्व लक्ष्य पूर्णरूपेण अर्जित नहीं किए जाते हैं तो उस माह के बैकलॉग को आगामी माह में सम्मिलित कर आगामी माह के राजस्व लक्ष्य को संशोधित समझा जावे। आलौच्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुलिस विभाग के माध्यम से अर्जित की जा रही प्रशमन शुल्क राशि हेतु पृथक से लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। अतः आलौच्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अर्जित राजस्व में पुलिस विभाग द्वारा अर्जित राजस्व सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

संलग्न :-परिशिष्ट-1


(रवि जैन)
शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

एफ 16(1)/परि/लेखा/राजस्व लक्ष्य/2021-22/7972-77 जयपुर, दिनांक 08-04-2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय राज. सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर।
4. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण.....
5. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी
6. सिस्टम एनॉलिस्ट को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।


वित्तीय सलाहकार

